न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:—	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:—	जीसीएमएस नंबर 2023 / 164 मैन्युअल नंबर 10 / 2023
रजु दिनांकः	:—	27.09.2023

1. रामसिंह पुत्र लड्डूसिंह जाति दरोगा (कोठारी) निवासी डिगो तह0 लालसोट जिला दौसा।

(अपीलान्ट)

बनाम

1. पप्पूसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह कथित दत्तक पुत्र कालूसिंह जाति दरोगा (कोठारी) निवासी डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट।

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से : अधिवक्ता श्री एच.एन.माठा
02. रेस्पोडेन्ट की ओर से : कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांकः 10/11/25

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लालसोट दिनांक 26.02.07 नामान्तकरण सं0 1759 वाकै ग्राम डिगो तह0 लालसोट

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 1759 दिनांक 26.02.07 वाकै ग्राम डिगो तह0 लालसोट यह कथन करते हुए पेश की है कि कालूसिंह पुत्र श्रीकिशन दरोगा निवासी डिगो को ख0नं0 166 मिन वाकै ग्राम डिगो में से 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि का आवंटन कर कालूसिंह को गैर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये थे। कालूसिंह ना औलाद फौत हो गया। कालूसिंह के भाई जगन्नाथसिंह के लडके पप्पूसिंह ने तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पटवारी हल्का से साज कर कालूसिंह की मृत्यु के पश्चातृ गलत व अवैध तरीके से उसका दत्तक पुत्र बनकर गुपचुप में नामान्तकरण तस्दीक करा लिया। अपीलांट ने जिसकी अपील न्यायालय उपजिलाधीश लालसोट में कर रखी है। नामा0 सं0 1663 के जरिये पप्पूसिंह ने गैर खातेदारी का नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया एवं नामान्तरण संख्या 1759 वाके ग्राम डिगो के जरिये गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवा लिया।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

अपीलांट ने अपील के समर्थन में आधार कथन किये है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने आवंटन की शर्तो का पालन नही किया। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नही रहा, बिना कब्जे की जांच किए ही गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करना अवैध था। नामांतरण संख्या 1759 ग्राम डिगो तह0 लालसोट पर तहसीलदार लालसोट का निर्णय दिनांक 26.02.2007 मनमाना एवं ज्यूडिशियल डिस्क्रेशन के विपरीत होने तथा कानूनन विधि विधान व सामान्य प्रक्रिया व सिद्धांतो के विपरीत होना बताकर उक्त नामांतरण को अपीलांट ने निरस्तनीय करार दिया है।

अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 1759 वाकै ग्राम डिगो तह0 लालसोट पर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2007 को निरस्त फ़रमाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान की तलवी की गई तथा मूल अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस़ सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर नामांतरण संख्या 1759 वाकै ग्राम डिगो तह0 लालसोट को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आराजी ख0नं0 166 मिन वाकै ग्राम डिगो में से 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन कालूसिंह पुत्र श्री किशन दरोगा निवासी डिगो को हुआ था जिसमें कालूसिंह को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। कालूसिंह लाऔलाद फौत हो गया। कालूसिंह की मृत्योपरांत गलत व अवैध तरीके से कालूसिंह के भाई जगन्नाथ सिंह के लडके पप्पूसिंह ने नामांतरण संख्या 1663 ग्राम डिगो दिनांक 07/01/2007 को ग्राम पंचायत डिगो से तस्दीक करवा लिया था। उक्त नामांतकरण संख्या 1663 ग्राम डिगो तहसील लालसोट दिनांक 07.01.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा उनवानी प्रकरण रामसिंह बनाम पप्पूसिंह प्रकरण संख्या 17/13 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 के जरिये निरस्त कर तहसीलदार लालसोट को मृतक कालूसिंह पुत्र श्रीकिशन दरोगा के वारिसान की नियमानुसार विधिवत जांच कर नामांतकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड किया था। उक्त नामांतकरण संख्या 1663 ग्राम डिगो के पश्चात् तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 26.02.2007 को नामांतकरण संख्या 1759 ग्राम डिगो तस्दीक फरमा दिया एवं पप्पूसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जबकि कालूसिंह पुत्र श्रीकिशन दरोगा निवासी डिगो की विरासत का मूल नामांतकरण ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा निरस्त किया जा चुका है तो उसके पश्चात् उक्त नामांतकरण के अनुसरण में की गई समस्त कार्यवाहियां अवैध व प्रभावशून्य है। इसलिए हमारे मत में अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 1759 दिनांक 26.02.07 ग्राम डिगो निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मूल नामांतरण संख्या 1663 वाके ग्राम डिगो की विरासत की विधिवत रूप से जांच कर नामांतरण की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा